हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 49

मंगलवार, 03 सितम्बर, 2024/12 भाद्रपद, 1946(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

11.00 बजे पूर्वाह्न प्रश्नकाल आरंभ होने तक विपक्ष के सदस्यगण सदन में मौजूद नहीं थे परन्तु कुछ क्षण उपरान्त सभी सदन में उपस्थित हो गए।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 1516 (स्थगित) पर सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए।

व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए **नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर, माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा व कुछ अन्य माननीय सदस्य** अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय अध्यक्ष से अपनी बात रखने की अनुमति मांगने लगे। जिस पर अध्यक्ष महोदय ने उन्हें प्रश्नकाल के उपरान्त अपना विषय उठाने के लिए कहा।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)

तारांकित प्रश्न संख्याः 1937 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए।

माननीय मुख्य मंत्री ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि विपक्ष की बात को सुन लिया जाए। उन्होंने विपक्ष से भी अनुरोध किया कि अपनी बात रखने के उपरान्त वे उत्तर भी जरूर सुन लें।

संसदीय कार्यमंत्री (उद्योग मंत्री) ने कहा कि प्रश्न काल के उपरान्त विपक्ष की बात को सुना जाए ताकि विपक्ष के माननीय विधायक भी प्रश्नकाल में भाग ले सकें। उन्होंने कहा कि सभी चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले और गतिरोध खत्म हो।

Ruling by the Speaker

> "Anyway, this is an exceptional circumstance whereby I am allowing the Opposition Members and the Leader of the Opposition to what is the viewpoint. What you want to say? If something irrelevant then I may reject it. So please be very cautious about your words and whatever you want to say."

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि सदन में पहली बार इस तरह की परिस्थिति नहीं बनी है और इस परिस्थिति के लिए केवल विपक्ष को ही दोषी ठहराना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने दो-तीन विषयों पर चर्चा चाही थी जिनमें से एक नियम-67 के अंतर्गत हिमाचल में आर्थिक संकट से संबंधित था और दूसरा विपक्ष के एक माननीय सदस्य द्वारा विषय उठाया गया था कि अध्यक्ष महोदय के किसी बयान से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह सत्र 10 दिन का इसलिए रखा गया है ताकि प्रदेश के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो। विपक्ष के नेता का कहना कि कल इनको अपना विषय उठाने की अनुमति नहीं दी गई, वह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन में कौन सा विषय लगना चाहिए और कौन सा नहीं, यह माननीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। उन्होंने चाहा कि जो गतिरोध सदन में चल रहा है इसका कोई सार्थक समाधान निकले ताकि सार्थक रूप से यह सदन आगे चलता रहे।

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने कहा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि कल जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी ने अपनी बात रखनी शुरू की लेकिन उनको समय नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्होंने स्वयं भी नियम-67 के तहत दिए गए नोटिस पर चर्चा चाही थी परन्तु अनुमति नहीं मिली।

माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि सदन के नियम माननीय सदस्यों द्वारा ही बनाए गए हैं और सदन का संचालन उन नियमों के तहत ही होता है। इसलिए प्रश्न काल को पीछे करके कुछ और मुद्दे सदन में न उठाए जाएं। उन्होंने विपक्ष से निवेदन किया कि वे बार-बार रूठकर सदन से बाहर भी न जाया करें।

माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि सदन में इस तरह की पिक्चर पेश की जा रही है जैसे विपक्ष के सदस्यगण इस विधान सभा की परंपराओं व नियमों से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, जोकि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने नियमानुसार नोटिस दिए हैं परन्तु उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि विपक्ष द्वारा जो बातें सदन में रखी गई हैं उन पर अगर माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य आ जाता तो सारी चीजें सुलझ जातीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने **श्रीमती कमलेश ठाकुर जी** का निर्वाचित होने के पश्चात पहली बार सदन में उपस्थित होने पर स्वागत किया।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि सदन नियमों से चलता है लेकिन उस परम्परा के अतिरिक्त भी अपने विवेक का परिचय देते हुए माननीय अध्यक्ष विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका देते हैं। उन्होंने चाहा कि विपक्ष द्वारा लाये गए किसी भी मुद्दे पर उनकी बात प्रश्नकाल और कागजात के सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात ही सुनी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा उठाये गए किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया कि विपक्ष को वैसे ही आप ज्यादा समय बोलने के लिए देते हैं इसलिए इनकी चर्चा को पहला अधिकार दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"अभी जो विषय माननीय सदन में चर्चा में है, जिसका उल्लेख माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया है और जिस पर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी की है; अब इस विषय को हम समाप्ति की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं ठीक हूं या कोई और ठीक है, इस परिस्थिति में बात नहीं की जा रही है। मुझे यह साबित नहीं करना है कि मैं ठीक हूं तथा विपक्ष को भी यह साबित नहीं करना है कि आप ठीक हैं और तभी विषय समाप्त होते हैं। आज आप सभी ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति में बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। I was expecting that also और दोनों ही तरफ के माननीय सदस्यों ने ऐसा किया।

जहां तक कल की बात है; यह सत्य है कि नियम-67 का विषय पहले आता परन्तु उससे पहले ही माननीय श्री विपिन सिंह परमार जो पूर्व अध्यक्ष, विधान सभा रहे हैं उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न करने की अनुमति चाही जिसकी मुझे पहले से जानकारी थी कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तब मैंने कहा, not allowed. उसके बाद there was a ruckus in the House. हमने प्रश्न काल शुरू कर दिया और उसके बाद नियम-67 तो अल्टीमेटली विपक्ष का सैकेंडरी इशू था जोकि प्राइमरी होना चाहिए था। यह सब रिकॉर्ड पर है। उसके बाद विपक्ष ने नियम-274 के तहत एक नोटिस विधान सभा सचिवालय को दिया। कुछ अख़बारों ने भी इसको रिपोर्ट किया है। मैं यहां पर नियम-274 को पढ़ देता हूं और आज इसके ऊपर भी निर्णय आ जाए ताकि सारी बात समाप्त हो जाए। Rules-274. Notice of resolution for removal of speaker or Deputy Speaker-(1) A member wishing to give notice of a resolution under Article 179 (c) of the Constitution for the removal of the Speaker or the Deputy Speaker shall do so in writing or online to the Secretary and shall furnish the full text of such resolution. My Secretariat has received the Resolution signed by 24 MLAs. The sub-section (2) is the most important, which I am referring to now. (2) On receipt of a notice under sub-rule (1) a motion for leave to move the resolution shall be entered in the list of business in the name of the member concerned, on the day fixed by the Speaker, provided that the day so fixed shall be any day after fourteen days from the date of the receipt of notice of the resolution. Second part is the most important part. आपने यह नोटिस विधान सभा सचिवालय को

दिया। उसके बाद सब सैक्शन-1 की कार्यवाही पूरी हुई। सब सैक्शन-2 की कार्यवाही पूरी तब होनी थी जब वह लिस्ट ऑफ बिजनैस में एंटर करता। लिस्ट ऑफ बिजनैस में तब एंटर करता जब इसकी statutory requirement under the Constitution 179 Article (c) में कि 14 डेज़ का क्लीयर नोटिस होता। सत्र का समय 09 सितम्बर तक है। 14 डेज़ क्लीयर नोटिस तो है नहीं और फिर इसको अध्यक्ष ही फिक्स करेगा। कुछ समाचार पत्रों ने यह रिपोर्ट कर दी है कि अध्यक्ष ने इसकी अवहेलना कर दी कि खुद ही कुर्सी पर बैठा रहा और नोटिस रिजैक्ट कर लिया। अभी तो रिजैक्ट नहीं हुआ था and yesterday also I said, time and again I am saying it, at time there is a protest, at time there is a walkout. Yesterday it was a walkout. Previously, there was a protest and the News Papers must know what to report and what not to report. All rules applies to you equally also. Let be referred to those also. सब-सेक्शन-(3) के अनुसार In order that such a resolution may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely:- 1 और 2 की कंप्लायंस होने के बाद तीसरे में क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वे फुलफिल होनी चहिए तभी नोटिस एंटर होगा। (1) it shall be specific with respect to charges; what charges you are making against the Speaker or the Deputy Speaker to whom you want to remove from the Office. (2) it shall be clearly and precisely expressed; and (3) it shall not contain arguments, inference, ironical expressions, imputations or defamatory statements. यह जो आपका नोटिस था इसमें तो imputations थी, डेफामेटरी पार्ट था, आइरोनिकल एक्सप्रेशन्ज़ थे तो यह एडमिट हो ही नहीं सकता था और इसको मैंने कल ही रिजैक्ट कर दिया था। नियम-67 की रूलिंग भी मैंने पिछले कल इस माननीय सदन में दे दी थी। मैं दस साल तक इस माननीय सदन का सदस्य नहीं था शायद उसमें कन्वेंशंस बदल गई होंगी लेकिन जब मैं इस सदन का सदस्य था, उस समय ऐसा नहीं होता था कि प्रश्नकाल के अंदर ही चर्चा और प्वाइंट ऑफ ऑर्डर शुरू हो जाते थे। ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी। अब जब मैं आया तो मुझे नई कन्वेंशंस देखने को मिल रही हैं। पक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ से कहा भी जा रहा है कि ऐसी कन्वेंशंस हैं तो कोई बात नहीं, उसकी भी हम इजाज़त दे देंगे। सदन के अंदर 6 के 6 सत्रों में मेरा आचरण न्यूट्रल रहा है और अध्यक्ष की जिम्मेवारी न्यूट्रल रहने की है जोकि मैंने किया है। मैं यह मानता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष का रोल सत्तापक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि विषय विपक्ष ही उठाएगा। सरकार की कारगुज़ारी का लेखा-जोखा भी विपक्ष ही लेगा और

इसलिए नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी के जो विषय आए हैं, उन्हीं के नाम से लिस्ट हुए और प्रायोरिटी के ऊपर लिस्ट हुए हैं। चाहे वे उनके अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित ही क्यों नहीं थे। हम लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर अंदर यहां मैं प्रतिपक्ष को बोलने न दूं और सत्ता पक्ष को ही बोलने दूं तो I am not a democrat. So I believe in democracy and I am a person who believes in the principle convince or get convinced. जब-जब आपने मुझे कन्विंस किया, मैं आपकी तरफ था और जब सत्ता पक्ष ने कन्विंस किया तो मैं इनकी तरफ था। यही लोकतंत्र का बेसिक फंडामेंटल और प्रिंसिपल है। इसलिए मैं बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मेरा आपसे आग्रह है कि एक तो जब कोई भी माननीय सदस्य बोल रहा हो तो बीच में रुकावट न हो। आप मुझसे समय मांगे, मैं समय देता हूं। आप उन एलिगेशन्ज़ को रिवर्ट कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कि कई बार बातें चुभ जाती हैं और वे टॉलरेट नहीं हो पातीं जिसके कारण व्यक्ति एकदम से रिएक्ट कर देता है। यहां पर किसने ऐसा नहीं किया, श्री जय राम ठाकुर जी ने तो इस बात को खुद मानते है। मैंने अंदर तो कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया और भगवान न करे कभी मुझे ऐसा व्यवहार करने का मौका मिले। मैं हर समय ईश्वर को हाज़िर-नाज़िर रखकर ही काम करता हूं।

मैं अपनी जनता का आभारी भी हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर चुनकर भेजा है परंतु जिन परिस्थितियों में मैं चुनाव लड़कर आया हूं, ऐसे यहां पर शायद एक-दो लोग ही होंगे और मैं यहां पर पांचवी बार पहुंचा हूं। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का आभारी हूं जो मेरे ऊपर विश्वास रखा और मैंने जो निर्णय लिए उसको भी अप्रूव किया। हम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में सारी परिस्थितियां अलग होती हैं, ये आप सभी जानते हैं। उन परिस्थितियों में वहां पर जिन-जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह सब केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए होता है। उसमें कोई वास्तविकता नहीं होती, वे केवल जुमले होते हैं। उस समय की राजनीतिक परिस्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश की सरकार एक साल के अंदर-अदर जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए हर प्रकार की भाषा का प्रयोग करना वाज़िब था जोकि बाहर किया गया। आपको वे शब्द अच्छे नहीं लगे, आप सभी हमारे साथी हैं। आपमें से तीन लोग सदन में वापिस आ गए हैं और आप तीनों का स्वागत है। आप तीनों मुझे अंदर और बाहर से अच्छी तरह से पहचानते भी हैं। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं कल बाहर कॉंफ्रेंस करके सारी बात स्पष्ट कर दूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि अंदर मेरा आचरण नियमों के अनुरूप ही रहेगा और प्रैस के साथियों से भी मैं ऐसा ही कहना

चाहूंगा। इसलिए बात को यही समाप्त करते हुए आगे प्रश्न के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं।"

तारांकित प्रश्न संख्याः 1938 से 1940 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों/मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1941 से 1999 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 871 से 897 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी ने प्रश्नकाल का समय बढ़ाने हेतु अनुरोध किया ताकि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को ज्यादा-से-ज्यादा सदन में उठाया जा सके।

माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा ने शिमला के उप-नगर संजौली में कानून-व्यवस्था के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहा, जिस पर माननीय अध्यक्ष ने उन्हें इस विषय को नियम-62 के तहत उठाने का सुझाव दिया।

माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया ने रैत निवासी आशीष पाधा जिन्हें रात को सांप ने काट लिया था परन्तु टाण्डा मेडिकल कॉलेज में समय पर वेंटिलेटर्ज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, बारे विषय उठाया। जिस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने जांच करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

माननीय सदस्य श्री पवन कुमार काजल ने टाण्डा मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स के माध्यम से जो 450 नर्सिज, वॉर्ड ब्वाय या अन्य श्रेणियों की भर्तियां की जा रही हैं, उसमें कोरोनाकाल के समय आउटसोर्स पर लगे लोगों को प्राथमिकता दिए जाने बारे विषय उठाया। जिस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा

कि यह विषय व्यवस्था के प्रश्न की परिधि में नहीं आता है परन्तु मुख्य मंत्री जी इसे देख लेंगे।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश का पहला विधान; और

(ii) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 (01.04.2023 से 31.03.2024 तक)।

(2) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उप-मुख्य मन्त्री** ने सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम का 49वाँ वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित), की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश गौजातीय प्रजनन अधिनियम, 2019 की धारा 30 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौजातीय प्रजनन अधिनियम (गौजातीय वीर्य के उत्पादन, विक्रय और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का विनियमन) नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः एएचवाई- ए(3)-3/2018-पी-I, दिनांक 11.10.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.11.2023 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(4) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, तहसीलदार, ग्रुप-बी, भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन), 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः इन्ड-ए(ए)3-2/2024, दिनांक 05.08.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.08.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(5) **श्री राजेश धर्माणी, नगर और ग्राम योजना मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, अधिनियम, 2013 की धारा-139(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने **नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर** द्वारा दो दिन पूर्व उठाये गए विषय कि उनके घर की ड्रोन द्वारा जासूसी की जा रही है, बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट करते हुए वक्तव्य दिया गया।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति** (वर्ष 2024-25) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी:-

(i) समिति का 73वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 74वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का 75वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का 76वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है;

(v) समिति का 77वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है;ख्ख्ख्

(vi) समिति का 78वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है;

(vii) समिति का 79वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है;

(viii) समिति का 80वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि 113वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है; और

(ix) समिति का 81वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि 114वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान) से सम्बन्धित है।

(2) **श्री विनय कुमार, सभापति, अधीनस्थ विधायन समिति** (वर्ष 2024-25) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का तृतीय प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि चौदहवीं विधान सभा के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम् सत्रों के दौरान सांविधिक संगठनों, सरकारी कम्पनियों व अन्य स्वायतशासी संगठनों द्वारा सभा पटल पर उपस्थापित किए वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि चौदहवीं विधान सभा के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम् सत्रों के दौरान उपस्थापित किए गए नियमों/परिनियमों की समिति द्वारा संवीक्षा से सम्बन्धित है।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री बिक्रम सिंह, सदस्य ने "**व्यास नदी से बड़सर के लिए पेयजल योजना**" की ओर जल शक्ति मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।'

माननीय जल शक्ति मन्त्री ने उत्तर दिया।

माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय जल शक्ति मंत्री ने उत्तर दिया।

माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा व नेता प्रतिपक्ष द्वारा शराब के ठेकों बारे उठाई गई बातें कि चम्बा, कांगड़ा, नूरपुर और ऊना में रिजर्व प्राइस से कम पर बोली गई, बारे स्थिति स्पष्ट की।

(0 1.25 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.20 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 02.20 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहा जिस पर अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया कि व्यवस्था का प्रश्न निम्नलिखित परिस्थितियों में उठाया जा सकता हैः-

" (1) A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker. This is one thing.

(2) A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment:

Provided that the Speaker may permit a Member to raise a point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of another if it

relates to maintenance of order in, or arrangement of business before, the House.

(3) Subject to the conditions referred to in sub-rule (1) and (2), a Member may formulate a Point of Order and the Speaker shall decide whether the point raised is a Point of Order and if so, give his decision thereon, which shall be final.

(4) No debate shall be allowed on a Point of Order, but the Speaker may, if he thinks fit, hear members before giving his decision.

(5) A point of order is not a point of privilege.

(6) A Member shall not raise a Point of Order:—

(a) to ask for information; or

(b) to explain his position; or

(c) when a question on any motion is being put to the House; or

(d) which may be hypothetical; or

(e) that Division Bells did not ring or were not heard.

So these are the six conditions.

जो व्यवस्था के प्रश्न को फोरबिड करती हैं। मुख्य मंत्री जी ने स्टेटमेंट दी और मैंने आपको बोलने की अनुमति दे दी। इसमें स्पष्टीकरण हो गया है और इश्यू भी क्लीयर हो चुका है। अब यह व्यवस्था का प्रश्न हर इशू पर नहीं हो सकता। यदि आप मुख्य मंत्री जी की स्टेटमेंट पर कोई चर्चा चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे नियम हैं। उन नियमों के तहत आप एक नोटिस दे दीजिए, कल-परसों तक मैं उसे परमिट कर दूंगा।"

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने मीडिया से संबंधित विषय सदन में उठाया।

इस पर **माननीय मुख्य मंत्री** ने कहा कि पत्रकारिता के कुछ एथिक्स हैं इसलिए किसी भी बात को लिखने से पहले उसकी सच्चाई की व्यक्तिगत तौर पर जांच करके ही उसे लिखा जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उन्होंने सुबह यह कहा था कि पत्रकारों की स्वतंत्रता के ऊपर कहीं भी हस्तक्षेप यह माननीय सदन नहीं करना चाहता।

परन्तु पत्रकार बन्धुओं की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। प्रैस लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है जो यहां के संवाद को जनता तक पहुंचाता है कोई भी ऐसी ख़बर जिसका संबंध जो रिकॉर्ड पर न हो और सदन के अंदर उसको उस तरीके से डिस्कस न किया हो, जो मीडिया रिपोर्ट कर दे तो नियम तो उन पर भी वही लगते हैं। यही बात मैंने सुबह कही that if you will distort from news whatever is being discussed in the House and i.e. distorted in the Media obviously is covered udner same rules. This House is a supreme House and it can take action agasint all the four pillars of democracy also. So this is what I wanted to refere. Yesterday also I said it that we have not taken a congnizance of the issue which brought under Rule-274. We have not taken a congnizance of it then how the Media reported to that. That issue was no discussed in the House. Even the H.P. Vidhan Sabha Secretariat had rejeceted it. So that is the concern. By that distortion a very wrong message has been travel to the public at large. You can say anything but that is not a thing to be reported. So this is what the concern of the Hon'ble Chief Minsiter is. The things are to be reproted first it should be verified from the record. So this is what I wanted to clarify. So in any case anybody violates to that certainly he will liable to the actoins.

5. <u>विधायी कार्य</u>

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-24) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-24) पुरःस्थापित हुआ।

(II) **सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण**

श्री राजेश धर्माणी, नगर और ग्राम योजना मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5)" पर विचार किया जाए।

सर्वश्री विपिन सिंह परमार, सुधीर शर्मा, जय राम ठाकुर, सुरेन्द्र शौरी, बलबीर सिंह वर्मा, इन्द्र सिंह, विनोद सुल्तानपुरी, अनुराधा राणा, संजय रत्न, केवल सिंह पठानिया, सुन्दर सिंह ठाकुर, श्री आशीष बुटेल, मुख्य संसदीय सचिव, नीरज नैय्यर, किशोरी लाल, श्री विवेक शर्मा(विक्कू) ने चर्चा की एवं सुझाव दिए तथा यह भी चाहा कि इसे प्रवर समिति को प्रेषित किया जाए।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4 और 5 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री राजेश धर्माणी, नगर और **ग्राम योजना मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"**हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5)" पारित हुआ।**

6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) **श्री संजय रत्न तथा श्री कुलदीप सिंह राठौर, सदस्यों** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की -

"राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों स्थानीय निकायों, पंचायती राज

संस्थाओं, निगमों, बोर्डों तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर उपस्थापित न करने या देरी से करने बारे यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. डॉ0 हंस राज

(03.50 बजे अपराह्न श्री अनिल शर्मा, सभापति पदासीन हुए।)

2. श्री विनोद सुल्तानपुरी

(4.30 बजे अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

3. श्री केवल सिंह पठानिया
4. श्री विपिन सिंह परमार

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अध्यक्ष द्वारा सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

"आज भी और बाकी दिनों में भी नियम-323 यानी जो "व्यवस्था का प्रश्न" है, उसके माध्यम से अपना विषय उठाने हेतु सदन में बहुत से हाथ उठते हैं जबकि व्यवस्था के प्रश्न का स्कोप बहुत ही सीमित है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनका चर्चाओं की बजाए एक मिनट के अंदर यदि सदन में उल्लेख किया जाए तो उनका निष्पादन हो सकता है। इसलिए विषयों की गम्भीरता को समझते हुए बल्कि अभी भी बहुत सारे माननीय सदस्यगण मुझे मेरे चैम्बर में मिले कि मेरा विषय नियम-61, 62 या 63 के तहत आप लगा दें। मेरी कोशिश रहेगी कि जो-जो विषय आपने दिए हैं वे सभी विषय लगें। So from tomorrow I am permitting the Zero Hour after the Question Hour for half an hour whereby very important questions can be taken up और

जो भी माननीय सदस्य उस समय अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे विभाग उसका संज्ञान लेगा। That should be very crisp and short and no speeches. The Zero Hour we are starting from tomorrow after the Question Hour from 12.00 to 12.30 pm."

(2) **श्री जीत राम कटवाल, सदस्य** ने नियम-130 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि **"प्रदेश की ऊर्जा/जल विद्युत नीति पर यह सदन विचार करे।"** जिस पर दिनांक 04 सितम्बर, 2024 को चर्चा आरंभ होगी।

04.55 बजे अपराह्न सदन की बैठक बुधवार, 04 सितम्बर, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।